न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 534 सन 2019

अनवान :–

1. लालचन्द पारीक पुत्र आदराम पारिक जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्र पारिक पुत्र आदराम पारिक जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. गायत्री देवी पुत्री आदराम जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कैलाश देवी पुत्री पृथ्वीराज जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रचना पारीक पुत्री पृथ्वीराज जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रवन्द्रि कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 95/89 की कुल 2.9095हैक भूमि में से 0.970हैक व रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 75/73 की कुल 5.8170हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 1.939हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के आदराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता आदराम का देहान्त हो चुका है उसकी पत्नि प्रेमेश्वरी का भी देहान्त हो चुका है वाद भूमि वर्तमान में वादी के मृतक पिता आदराम के नाम से दर्ज है आदराम के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र , पुत्रीया है आदराम के एक पुत्र पृथ्वीराज का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है इस प्रकार आदराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो आदराम के नाम से दर्ज भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं आदराम की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 मृतक पृथ्वीराज की पुत्रीया है एवं वादी की भतीजीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता आदराम के नाम से दर्ज है वादीगण के पिता आदराम का देहान्त हो चुका है एवं उनकी पत्नि प्रेमेश्वरी का भी देहान्त हो चुका है। आदराम के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र /पुत्रीया है आदराम के एक पुत्र पृथ्वीराज के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है इसप्रकार आदराम के जायज व कानुनी वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,जो वादीगण की बहन/भतीजी है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/चाचा वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल गिराल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 95/89 की कुल 2.9095हैक भूमि में से 0.970हैक व रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 75/73 की कुल 5.8170हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 1.939हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के आदराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता आदराम का देहान्त हो चुका है उसकी पत्नि प्रेमेश्वरी का भी देहान्त हो चुका है वाद भूमि वर्तमान में वादी के मृतक पिता आदराम के नाम से दर्ज है आदराम के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र , पुत्रीया है आदराम के एक पुत्र पृथ्वीराज का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है इस प्रकार आदराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो आदराम के नाम से दर्ज भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं आदराम की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 मृतक पृथ्वीराज की पुत्रीया है एवं वादी की भतीजीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 95/89 की कुल 2.9095हैक भूमि में से 0.970हैक व रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 75/73 की कुल 5.8170हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 1.939हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के आदराम के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के पिता आदराम का देहान्त हो चुका है उसकी पत्नि प्रेमेश्वरी का भी देहान्त हो चुका है वाद भूमि वर्तमान में वादी के मृतक पिता आदराम के नाम से दर्ज है आदराम के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र , पुत्रीया है आदराम के एक पुत्र पृथ्वीराज का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है इस प्रकार आदराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो आदराम के नाम से दर्ज भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 3 जो वादी की बहन/भतीजीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 95/89 की कुल 2.9095हैक भूमि में से 0.970हैक व रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 75/73 की कुल 5.8170हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 1.939हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता मृतक आदराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लालचन्द पारीक पुत्र आदराम पारिक जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्र पारिक पुत्र आदराम पारिक जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 गायत्री देवी पुत्री आदराम जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 कैलाश देवी पुत्री पृथ्वीराज जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 रचना पारीक पुत्री पृथ्वीराज जाति ब्रहाम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 534 सन 2019 निर्णय दिनांक– 16/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 95/89 की कुल 2.9095हैक भूमि में से 0.970हैक व रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 75/73 की कुल 5.8170हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 1.939हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता मृतक आदराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner